INDIAN PENAL CODE (IPC), 1860

Level -Hard

1.

Ans: d

Explanation: L/w Section 90 IPC. In Section 90, para I, it is essential in case of misconception of fact that the accused knew or had the reason to believe that the victim is giving the consent under a misconception of fact and the victim should have given consent under misconception of fact.

1.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: L/w धारा 90 ।

धारा 90, पैरा I में, तथ्य की गलत धारणा के मामले में यह आवश्यक है कि आरोपी जानता था या उसके पास यह मानने का कारण था कि पीड़िता तथ्य की गलत धारणा के तहत सम्मति दे रही है और पीड़ित को तथ्य की गलत धारणा के तहत सम्मति देनी चाहिए थी।

2.

Ans: b

Explanation: This is based more upon common sense. Allowing, defence in such a case will have an effect of shaking the societal conscience. Moreover, such act would be a blatant violation of Article 21 of constitution which is considered to be on a higher pedestal than any other statutory provision.

2.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: यह सामान्य ज्ञान पर अधिक आधारित है। ऐसे मामले में अनुमति देने, बचाव करने से सामाजिक अंतरात्मा को झकझोरने का प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, इस तरह की हरकत संविधान के अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन होगा जिसे माना जाता है किसी भी अन्य वैधानिक प्रावधान की तुलना में उच्च पद पर हो।

3.

Ans: d

Explanation: L/w Section 271 which penalises disobedience to quarantine rule.

3.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: L/w धारा 271 करन्तीन के नियम की अवज्ञा को दंडित करता है।

4.

Ans: b

Explanation: L/w Section 319 IPC If the offender intended or knew himself to be likely to cause only simple hurt, he cannot be convicted for grievous hurt even if the resultant hurt was grievous. The accused in the present case could not have intended or knew that he was likely to cause grievous hurt (which resulted due to a weather-board). Thus, he is guilty of simple hurt only.

4.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: L/w धारा 319 । यदि अपराधी का इरादा था या वह जानता था कि केवल साधारण चोट लगने की संभावना है, तो उसे गंभीर चोट के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, भले ही परिणामी चोट गंभीर हो। वर्तमान मामले में आरोपी का इरादा नहीं हो सकता

www.linkinglaws.com

था या उसे पता नहीं था कि उसे गंभीर चोट लगने की संभावना है (जिसका परिणाम मौसम-बोर्ड के कारण हुआ)। इस प्रकार, वह केवल उपहति का दोषी है।

5.

Ans: a

Explanation: L/w the provision of right to private defence (96-106). When C retreated leaving the stolen property behind, the right of private defence of property of D ended. When D and his brother continued to chase him (C), the right of private defence of body could be said to accrued to C. However, as there was not a present and imminent danger, C cannot take this defence. D and his brother were chasing C, but they have not yet attempted to attack him (even raising of lathi by them could have given the right of defence to C). They might not have attacked C after getting hold of him.

5.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: L/w प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान (96-106) जब C चोरी की गई संपत्ति को पीछे छोड़ कर पीछे हट जाता है, तो D की संपत्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाता है । जब D और उसके भाई ने C का पीछा करना जारी रखा , C का शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपार्जित कहा जा सकता है। हालांकि, चूंकि कोई वर्तमान और आसन्न खतरा नहीं था, C यह प्रतिरक्षा नहीं ले सकता। D और उसका भाई, C का पीछा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक उस पर हमला करने का प्रयास नहीं किया है (यहां तक कि उनके द्वारा लाठी उठाने से C को प्रतिरक्षा का अधिकार मिल सकता था)। हो सकता है कि उन्होंने उसे पकड़ने के बाद C पर हमला न किया हो।

6.

Ans: a

Explanation: L/w Section 304A it is provided in question itself that A had no knowledge if the gun was loaded, thus, it can't be imputed onto him.

6.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: L/w धारा 304A, यह प्रश्न में ही प्रदान किया गया है कि A को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि बंदूक लोड की गई थी, इस प्रकार, यह उस पर नहीं लगाया जा सकता है।

7.

Ans: a

Explanation: L/w Section 74 IPC

7.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: L/w धारा 74

8.

Ans: d

Explanation: L/w Section 319 IPC. Only that intention can be imputed to the person which the person initially had. A is guilty of causing simple hurt, as the blow, if it had fell upon the complainant would have caused simple hurt [Chatur Nath Vs. Emperor (1919) 21 Bom L.R. 1101]. The concept of transmigration of malice is a general rule and does not applies only at S 301 IPC.

8.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: L/w धारा 319। केवल वही इरादा उस व्यक्ति पर लगाया जा सकता है जो उस व्यक्ति के पास शुरू में था। A उपहति कारित करने का दोषी है, क्योंकि प्रहार, यदि वह शिकायतकर्ता पर पड़ता तो साधारण उपहति पहुँचाता [चतुर नाथ बनाम एम्परर (1919) 21 बॉम एल.आर. 1101]. द्वेष के स्थानांतरण की अवधारणा एक सामान्य नियम है और यह केवल S 301 IPC पर लागू नहीं होता है।

9.

Ans: a

Explanation: L/w Section 228 IPC.

10.

Ans: b

Explanation: Unless it is proved that the accused intended to lead her to suicide by not marrying or knew that suicide was a likely consequence, he cannot be held guilty for abetment of suicide. Suicide was an independent act of the victim girl [Satish v State, 1997 CrLJ 935 (Bom)].

10.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: जब तक यह साबित नहीं हो जाता है कि आरोपी ने शादी न करके उसे आत्महत्या की ओर ले जाने का इरादा किया था या यह नहीं जानता था कि आत्महत्या एक संभावित परिणाम है, उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है आत्महत्या पीड़ित लड़की का एक स्वतंत्र कार्य था। [सतीश बनाम राज्य, 1997 सीआरएलजे 935 (बीओएम)]

11.

Ans: d

Explanation: L/w Section 340. Both Malice and Period of confinement is immaterial for the offence of wrongful confinement.

11.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: L/w धारा 340, द्वेष और कारावास की अवधि दोनों सदोष परिरोध के लिए महत्वहीन हैं।

12.

Ans: a

Explanation: L/w Section 351 IPC A person commits an 'assault', if he makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he is about to use criminal force to that person.

12.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: L/w धारा 351, एक व्यक्ति 'हमला' करता है, यदि वह कोई अंगविक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंगविक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है ।

13.

Ans: c

Explanation: A is guilty of kidnapping from lawful guardianship under Sec. 361. B is not guilty as he merely gave shelter to a girl who was loitering on the street. In other words, there was no taking form the keeping of lawful guardianship.

13.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: A धारा 361 के तहत विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण का दोषी है। B दोषी नहीं है, क्योंकि उसने केवल एक लड़की को आश्रय दिया था जो सड़क पर घूम रही थी। दूसरे शब्दों में, विधिपूर्ण संरक्षकता रखने का कोई रूप नहीं था।

14.

Ans: b

Explanation: L/w Section 420 IPC.

14.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: L/w धारा 420

15.

Ans: d

Explanation: L/w Section 405, 420, 425 IPC, the ingredients on neither of these offences are satisfied.

15.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: L/w आईपीसी, इन अपराधों में से किसी पर भी धारा 405, 420, 425 के तत्व संतुष्ट नहीं हैं।

16.

Ans: d

Explanation: L/w Section 374 IPC

16.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: L/w धारा 374 आईपीसी

17.

Ans: c

Explanation: L/w Exception 4 of Section 302.

17.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: L/w धारा 302 का अपवाद 4

18.

Ans: b

Explanation: Theft and criminal breach of trust are mutually exclusive as in the other options there is a coherence between two given offences but in the option b there has no such coherence or exclusiveness.

18.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: L/w चोरी और आपराधिक न्यासभंग परस्पर अनन्य हैं क्योंकि अन्य विकल्पों में दिए गए अपराधों के बीच एक सुसंगतता है लेकिन विकल्प बी के तहत दिए गए विकल्प में ऐसा कोई सुसंगतता या विशिष्टता नहीं है।

19.

Ans: d

Explanation: L/w Section 378, 405, 425 IPC, the ingredients of neither of these offences are satisfied. So none of the above is the right answer.

19.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: L/w आईपीसी, इन अपराधों में से किसी पर भी धारा 378, 405, 425 के तत्व संतुष्ट नहीं हैं। अतः उपरोक्त में से कोई भी सही उत्तर नहीं है।

www.linkinglaws.com

20.

Ans: c

Explanation: L/w Section 300 Multiple injuries by ordinary or formidable weapon on non-vital parts of the body

may also bring the case under clause third of Sec. 300 IPC [See Anda & ors. v State of Raj. and State of A.P. v R. Punnayya]

20.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: L/w धारा 300, शरीर के गैर-महत्वपूर्ण हिस्सों पर साधारण या दुर्जेय हथियार से कई चोटें भी मामले को धारा 300 के तीसरे खंड के तहत ला सकती हैं। [अंदा बनाम राजस्थान राज्य और ए.पी. राज्य बनाम आर. पुन्नय्या देखें]

21.

Ans: d

Explanation: A may have committed criminal trespass and assault, but not theft as what he did was not done dishonestly.

21.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: A ने आपराधिक अतिचार और हमला किया हो सकता है, लेकिन चोरी नहीं की क्योकि जो उसने किया था बेईमानी से नहीं किया था ।

22.

Ans: c

Explanation: If the act of the accused is intrinsically defective, then it cannot be said that such act is an act towards the commission of the offence. Thus, in the present case, A will not be liable for attempt to murder B in the situations (I) and (II). But in situations (III), (IV), (V) and (VI), A will be liable because, here, his failure was not due to any act or omission of his own but to the intervention of a factor independent of his own volition or will.

22.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: यदि अभियुक्त का कार्य आंतरिक रूप से दोषपूर्ण है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा कार्य अपराध करने की दिशा में किया गया कार्य है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, परिस्थितियों (I) और (II) में A, B की हत्या के प्रयास के लिए दोषी नहीं होगा। लेकिन स्थितियों (III), (IV), (V) और (VI) में, A दोषी होगा क्योंकि, यहाँ, उसकी विफलता उसके स्वयं के किसी कार्य या चूक के कारण नहीं थी, बल्कि उसके स्वतंत्र कारक के हस्तक्षेप के कारण थी।

23.

Ans: c

Explanation: The young persons can be prosecuted for 'Criminal Intimidation (Sec. 503, IPC). The young persons are not guilty of 'extortion', as there can be no extortion unless a person is by threat of injury induced to deliver any property to the culprit.

23.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: युवा व्यक्तियों पर 'आपराधिक अभित्रास (धारा 503, आईपीसी) के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। युवा व्यक्ति 'उद्दापन' के लिए दोषी नहीं हैं, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपराधी को कोई संपत्ति देने के लिए चोट की धमकी से प्रेरित नहीं होता है, तब तक कोई उद्दापन नहीं हो सकता है।

24.

Ans: b

Explanation: In the present case, the assembly was lawful in its inception, but it becomes unlawful later when A shouted "Here is the devil, let us beat him", and the ther four members responded to his call. Thus, an unlawful assembly comes into existence with the

common object of beating X. According to the explanation to Sec. 141, an assembly which was lawful when it assembled may subsequently become an unlawful assembly. It may be noted that there need not be any pre-planning among members of an unlawful assembly as to the common object. Common object can develop eo instanti (at the spur of the moment).

Under Sec. 149, all the members will be liable for the offences which they knew were likely to be committed in the prosecution of the common object. It is likely that hurt may be caused, but the death of X was not in the contemplation of the members (as evidenced by the fact that E reprimanded A for his uncalled act of killing X as such). Thus, only A will be liable for causing the death of X. As there was no common intention, Sec. 34 also cannot be invoked.

24.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: वर्तमान मामले में, जमाव अपनी स्थापना से वैध था, लेकिन बाद में यह विधिविरुद्ध हो गया जब A चिल्लाया "यहाँ शैतान है, हम उसे मारते हैं", और अन्य चार सदस्यों ने उसके आह्वान का जवाब दिया। इस प्रकार एक विधिविरुद्ध जमाव अस्तित्व में आता ,है जिसमें X की पिटाई का सामान्य उद्देश्य होता है। धारा 141 के स्पष्टीकरण के अनुसार, एक जमाव जो इकट्ठा होने पर वैध था, बाद में एक विधिविरुद्ध जमाव बन सकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि वहाँ किसी विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों के बीच सामान्य उद्देश्य से कोई पूर्व-योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य उद्देश्य "ईओ इंस्टेंटी" (एक ही क्षण में)विकसित हो सकता है।

धारा 149 के तहत, सभी सदस्य उन अपराधों के लिए दोषी होंगे जिन्हें वे जानते थे कि सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना थी। यह संभावना है कि चोट लग सकती है, लेकिन X की मृत्यु सदस्यों के चिंतन में नहीं थी (जैसा कि इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि E ने X को इस तरह मारने के अपने अनुचित कार्य के लिए A को फटकार लगाई)। इस प्रकार, केवल A ही X की मृत्यु का कारण बनने के लिए दोषी होगा। जैसा कि कोई सामान्य आशय नहीं था, धारा 34 को लागू नहीं किया जा सकता।

25.

Ans: c

Explanation: A will be guilty of theft; B, C and D would be liable under Section 411 IPC for receiving stolen property as they had use the tickets

25.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: A चोरी का दोषी होगा; B, C और D धारा 411 के तहत चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दोषी होंगे, क्योंकि उन्होंने टिकटों का उपयोग किया था।

www.linkinglaws.com